हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)
(ISO 9001 : 2015 - Certified Organization)
आज़ादी का अमृत महोत्सव

C-12

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आई0एस0ओ0 9001–2015 द्वारा प्रमाणित संस्थान)

प्रेषक,	सेवा में,
सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।	प्राधानाचार्य / मुख्याध्यापक

क्रमांकः 01–**2585**/स्टेट छात्रवृति/सैकेण्डरी

दिनांक–05/09/2023

विषयः–सैकेण्डरी परीक्षा मार्च–2023 के परिणाम के आधार पर मेधावी छात्रों/छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने बारे।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय बारे आपको सूचित किया जाता है कि सैकेण्डरी परीक्षा मार्च–2023 में आपके विद्यालय में 95% (475) या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों की मैरिट सूची तथा हरियाणा स्टेट मैरिट छात्रवृति फार्म भेजे जा रहे है। बोर्ड कार्यालय में **DSE, Panchkula** से प्राप्त आदेशानुसार ये फार्म सम्बन्धित छात्रों/छात्राओं से भरवाकर सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जल्द से जल्द हर अवस्था में आपके द्वारा पहुचाएं जाने है। जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय द्वारा सभी आवेदन पत्र संकलित करके विशेष वाहक के माध्यम से निदेशक, सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा शिक्षा सदन, सैक्टर–05, पंचकुला के कार्यालय में दिनांक 30.09.2023 तक पहुचाएं जाने है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मैरिट सूची अनुसार सभी छात्र/छात्राओं (शहरी/ग्रामीण) को छात्रवृति निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा शिक्षा सदन, सैक्टर–05, पंचकुला के कार्यालय द्वारा दी जानी है तथा यह फार्म भी उन्ही के द्वारा डील किये जाने है। मैरिट में आए प्रत्येक परीक्षार्थी को एक ही फार्म दिया जाना है, तथा परीक्षार्थियों के मैरिट नं0, परीक्षार्थी का नाम, बैक का नाम ,बैक का खाता नम्बर, आई0एफ0एस0सी0 कोड, आधार नं0 का कॉलम अंकित करने उपरान्त ही वितरित किये जाने है। संज्ञान में आया है कि कुछ विद्यालयों द्वारा फार्म भरकर बार्ड कार्यालय में भेज दिए जाते है, जिस कारण सम्बन्धित परीक्षार्थी उक्त छात्रवृति से वंचित रह जाते है। ये फार्म जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में ही जमा करवाए जाने है।

भवदीय

अधीक्षक(सैकेण्डरी)
कृतेः सचिव

संलग्नः 1. हरियाणा स्टेट मैरिट छात्रवृति फार्म।

2. 95% & above अंक प्राप्तकर्ता की मैरिट।